न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 2787–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 421/अपील/2013–14.

कमल पिता जाला जी कोटवार
निवासी ग्राम दत्तोतर, तहसील
व जिला देवास

–––––अपीलार्थी

विरूद्ध

सरपंच ग्राम पंचायत दत्तोतर
तहसील व जिला देवास

–––––प्रत्यर्थी

– – – – – – –

श्री गणेश कुमावत, अभिभाषक, अपीलार्थी

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 9 नवम्बर 2015)

– – – – – –

यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 23–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ग्राम दत्तोतर तहसील व जिला देवास का चौकीदार है। अपीलांट को शासन की ओर से सेवा भूमि प्रदान की है जिसपर वह कृषि कार्य करता है। सेवाभूमि में एक कुंआ खुदा हुआ है जिससे गांव में पीने का पानी एवं अपीलांट की भूमि पर सिंचाई हेतु पानी का उपयोग किया जाता है। तत्कालीन उपसरपंच दिनेश पाटीदार की

कृषि भूमि अपीलांट की सेवा भूमि से लगी है। दिनेश पाटीदार का अपीलांट की कुछ सेवा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गई एवं सीमांकन हेतु सूचना पत्र दिनांक 15–5–08 को जारी किया। इसी बीच अपीलांट द्वारा सेवा भूमि पर सिंचाई के लिए पानी उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सिंचाई की जा रही थी तब तत्कालीन सरपंच एवं उपसरपंच द्वारा शिकायत तहसीलदार देवास को की गई। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24–5–08 अपीलांट के विरूद्ध शासकीय कुंए से पानी लेने के आधार पर कोटवार के पद से पृथक कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27–2–09 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया। अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 23–7–15 के द्वारा अपीलांट की अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील स्वीकार कर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

3/ अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा शासकीय कुएं में स्वयं की विद्युत मोटर डालकर सेवा भूमि पर सिंचाई किये जाने से ग्रामवासियों को पीने के पानी की समस्या होने के सम्बन्ध में सरपंच द्वारा तहसीलदार को शिकायत की गई। तहसीलदार द्वारा जांच कर दिनांक 24–5–08 को अपीलांट को कोटवार पद से पदचयुत किया, जिसे अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने यथावत रखा। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28–7–09 के द्वारा अपीलांट पर लगाये गये आरोपों को स्पष्ट कर गुण–दोष के आधार पर निराकरण हेतु

प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय द्वारा अपीलांट की सुनवाई उपरांत ठहराव प्रस्ताव एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 7—12—12 के द्वारा कोर्टवार पद से पृथक करने का अदेश दिया। तहसीलदार के उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा है। अपीलांट यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा दो—दो बार सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देकर प्रकरण में निर्णय पारित किये हैं। अपर आयुक्त सहित अधिनस्थ के आदेशों में क्या अवैधानिकता की गई यह अपीलांट द्वारा नहीं बतलाया जा सका। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथमदृष्टया बतलाने में अपीलांट असमर्थ रहे। दर्शित परिस्थितियों यह अपील प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर